



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53814

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8897 वर्ष 2026

रामजी गौतम

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शिव शंकर कैथल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एन. राय को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक रामजी गौतम की ओर से थाना बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 466 वर्ष 2025, धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. संक्षेप में, प्राथमिकी में निहित आरोप के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक ने सूचनादाता की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण किया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। आवेदक 13.12.2025 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन उसने सूचनादाता की बेटी को न तो बहलाया-फुसलाया है और न ही उसका अपहरण किया है, और पीड़िता ने अपने अपहरण के संबंध में अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसकी उम्र 18 वर्ष है, वह आवेदक से प्यार करती है और वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ उड़ीसा गई थी, जबकि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा कि वह अपने माता-पिता से नाराज थी, इसलिए वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ उड़ीसा गई थी, वह आवेदक से प्यार करती है, आवेदक ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180, 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में अपने अपहरण के संबंध में आवेदक की भूमिका निर्दिष्ट नहीं की है और प्राथमिकी के अनुसार उसकी उम्र 15 वर्ष है, जबकि बी.एन.एस.एस. की धारा 180, 183 के तहत दर्ज बयानों के अनुसार पीड़िता की उम्र 18 वर्ष है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता को पहले ही बरामद किया जा चुका है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तर्क यह है कि विचारण के पूरा होने में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

6. पक्षों के उपरोक्त तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180, 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में अपने अपहरण के संबंध में आवेदक की भूमिका निर्दिष्ट नहीं की है और प्राथमिकी के अनुसार उसकी उम्र 15 वर्ष है, जबकि बयानों के अनुसार पीड़िता की उम्र 18 वर्ष है, पीड़िता ने धारा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



183 बी.एन.एस. के बयान में कहा है कि वह अपने माता-पिता से नाराज थी इसलिए अपनी मर्जी से आवेदक के साथ गई थी, वह आवेदक से प्यार करती है, आवेदक ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोप पत्र 17.12.2025 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन गवाहों को डराने या दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है, विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, **मनीष सिंसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सर्तेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

17 मार्च, 2026

आरए

(माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।